Association in Textile and Readymade Garments with USA

2409. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the details of nature of our association with the USA in areas of textiles/readymade garments;

(b) the manner in which these will be affected because of the recent sanctions being imposed by the USA; and

(c) the steps being taken by the Government to surmount these difficulties which textile sector may face in the near future?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) India's exports of textile and readymade garments to the USA had been governed by Bilateral Textiles Agreement under the Multi-Fibre Arrangement till 31st December, 1994. Consequent upon the World Trade Organisation (WTO) coming into force w.e.f. 1.1.1995, the quantitative restrictions (import quotas) in the bilateral agreement under MFA are being governed by the Agreement on Textiles and Clothing contained in the Final Act of Uruguay Round Negotiations of GATT.

(b) and (c) No sanctions have been imposed by the U.S.A. on export of Indian textiles and apparels to USA.

राष्ट्रीय वस्त्र मिलों में घाटा

2410. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्रीमती शबाना आजमी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित बहुत-सी मिलें घाटे में चल रही हैं और कई अन्य मिलें पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों की कुल संख्या, घाटे में चल रही मिलों की संख्या और बंद पड़ी मिलों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने घाटे में चल रही अथवा बंद पड़ी हुई कपड़ा मिलों को पुनः चलाने तथा उन्हें लाभकारी बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन बहुत सी मिलों में पिछले कुछ वर्षों से घाटे हो रहे है। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 119 मिलों में 115 मिलों में 1997-98 के दौरान घाटे हुए। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कोई भी मिल बंद पड़ी हुई नहीं है क्योंकि वेतन और मजदूरियों का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, अजूधिया टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थानांतरित करने/नये स्थान पर स्थापित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 1997 में बंद कर दिया गया था।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा किये गये एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन०टी०सी० की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है। जिसके लिए बी०आई०एफ०आर० द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निबल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी०आई०एफ०आर० के मानदण्ड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

हस्तशिल्प दस्तकारों की दयनीय स्थिति

2411. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में हस्तशिल्प दस्तकारों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनकी दशा सुधारने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है या बनाये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने हेतु हस्तशिल्प दस्तकारों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे कितने लोग लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ कारीगरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कारीगरों की गणना का कार्य फिलहाल चल रहा है। कारीगरों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की सुविधाएं देने के लिए सरकार कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में प्रशिक्षण, डिजाइन और तकनीकी विकास, विपणन एवं विपणन विकास सहायता, प्रदर्शनी एवं प्रचार, शिल्प विकास केन्द्रों/सामान्य सुविधा केन्द्रों, एम्पोरियमों की स्थापना, पेंशन, वर्कशेड-कम-हाऊसिंग, सामूहिक बीमा और अस्पताल में भर्ती करना शामिल है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हस्तशिल्प कारीगरों को रियायती ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2412. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के गुजरात और महाराष्ट्र समेत राज्य-वार कुल कितने कर्मचारी लाभान्वित हुये और उनको कितना लाभ पहुंचा है;

(ख) उक्त कर्मचारियों को श्रेणी-वार कुल कितना वित्तीय लाभ पहुंचा है; और

(ग) उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनको उक्त आयोग की सिफारिशों से अभी तक लाभ नहीं मिला है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में अध्यक्षों की नियुक्ति

2413. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम में सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अध्यक्षों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके कार्यकाल की अवधि कितनी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को उनके खिलाफ कदाचार, भ्रष्टाचार और वित्तीय घपलों की शिकायतें मिली हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतर्कता विभाग ने इस संबंध में कोई विस्तृत जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा): (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एक धारक कंपनी है जो नई दिल्ली में स्थित है तथा 9 सहायक निगम अर्थात एन०टी०सी० (ए०बी०के०के० एंड एम०) लि० बंगलौर, एन०टी०सी० (डी०पी०आर०) लि०, नई दिल्ली, एन०टी०सी० (गुजरात) लि०, अहमदाबाद में, एन०टी०सी० (एम०पी०) लि०, इंदौर में, एन०टी०सी० (एम० एन०) लि०, मुंबई में, एन०टी०सी० (एस० एम०) लि०, मुंबई में, एन०टी०सी० (बी० एंड पी०) लि०, कोयम्बटी में, एन०टी०सी० (यू० पी०) लि०, कानपुर में, एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०एंड बी०ओ०) लि०, कलकत्ता में स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति एन०टी०सी० (धारक कंपनी), एन०टी०सी० (ए०पी०के०के० एंड एम०) लि०, एन०टी०सी० (एम०एन०) लि०, एन०टी०सी० (एस०एम०) लि०, एन०टी०सी० (एम०पी०) लि०, एन०टी०सी० (डी०पी० एंड आर०) लि० तथा एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी० एंड ओ०) लि०, में की गयी है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा सेवा निवृत्ति की तारीख तक/अगले आदेश होने तक, इसमें जो भी पहले हो के लिए की गई थी।

(ख) और (ग) कुछ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध समय-समय पर मकानों के निर्माण की प्रकृति, बिक्रियों में कमीशन लेने, वित्तीय हेराफेरी करने, कोयले की खरीदारी के सौदों में आपसी लाभ प्राप्त करने, निजी प्रयोग के लिए कारों का इस्तेमाल करने, पदोन्नतियों, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा जोब कार्य में अनियमितताएं बरतने, झूठे बिलों के दावे करने आदि के बारे में इनकी विस्तृत जांच की गयी।

(घ) इस संबंध में की गयी जांच के आधार पर उनमें से किसी को भी सिद्ध नहीं किया जा सका है।

3915/LS-F64.